रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 295] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 1966/भाद्र 29, 1888

No. 295] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 1966/BHADRA 29, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION

ORDER

(COPYRIGHT)

New Delhi the 20th September 1966

S.O. 2829.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:—

1. This Order may be called the International Copyright (Fourth Amendment) Order, 1966.

2. In the International Copyright Order, 1958, in Part II of the Schedule, after the entry "Japan", the entry 'Kenya' shall be inserted.

[No. F. 3(9)/66-C.O.]

A M D'ROZARIO Jt Secy

शिक्षा मंत्रालय

आदेश (कापीराइट)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1966

एस० ओ० 2830—प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश 1958 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है अर्थात्:

1. यह आदेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार (चतुर्थ संशोधन) आदेश, 1966 कहा जाए।

2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश 1958 की अनुसूची के भाग II में 'जापान' की प्रविष्टि के बाद 'केन्या' की प्रविष्टि की जाएगी ।

[सं० एफ–3(9)/68 कापीराइट]

ए० एम० डी० रोजारियो,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1968